THE CONSTITUTION (AMENDMENT): BILL, 1968 (TO AMEND *ARTICLE* 316)

SHRI N. R. MUNISWAMY (Madras): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI N. R. MUNISWAMY: I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): We go back to further consideration of the following motion moved by Shri Bhupesh Gupta on the 14th March, 1968, namely:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

Mr. Vaishampayen.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1964 (TO AMEND *ARTICLE* 291— *continued.*

श्री एस० के० वैशपायन (महाराष्ट्र) : वाइस चेयरमेन सर, इस सदन के सामने माननीय भूपेश गुप्त जी ने जो विधेयक पेश किया है वह नरेशों की तनख्वाहों और विशेषाधिकारों के बारे में है और उसमें जो तत्व अन्तरभूत है उससे मैं सहमत हूं मगर इन तनख्वाहों को, इन विशेषाधिकारों को किस तरह से बन्द करना चाहिये, उसके लिये कौन सी पद्धति स्वीकार करनी चाहिये इस के बारे में मतभेद हो सकता है, किन्तु इस विषय के बारे में तो कोई मतभेद नहीं होना चाहिये क्योंकि इस बिल का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य पहले ही आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने प्रस्ताव में पेश किया है और उसमें यह साफ है कि ये जो तनख्वाहें और विशेषाधिकार नरेशों के, राजा महाराजाओं के हैं ये सब खत्म होने चाहियें । इस जीवन में, इस लोकशाही के जीवन मे, अब ऐसा समय आ गया है कि ये जो तनख्वाहें और ये जो विशेषाधिकार हैं वे उससे विसंगत ह और उसके साथ जाने वाले नहीं हैं, तो इस लिहाज से देखा जाय तो इस बिल के बारे में या उसमें जो उसूल है उसके बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता है । मुझे आश्चर्य हुआ कि यहां पर इस सदन में हमारे ही पक्ष के एक सदस्य ने इस बिल की एक तरह से मुखालिफत ही की है और जो नरेश हैं उनका एक तरह से समर्थन उन्होंने किया । मैं यह समझ सकता हूं कि जो स्वतंत्र पक्ष के सदस्य हैं उनके द्वारा इसकी मुखालिफत हो। वह तो समझ सकता हूं या वैसे ही जनसंघ में से किसी ने, जो प्रतिगामी दल है, उसने इसकी मुखालिफत की होती तो मैं समझ सकता था और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता परन्तु मुझे आश्चर्य लगा कि कांग्रेस के एक सदस्य ने ये तनख्वाहें बन्द करने और यह विशेषाधिकार को खतम करने का जो विषय है उसकी मुखालिफत की है । आज बीसवी सदी में जब कि हमने लोकशाही जीवन को को इतना ऊंचा उठा लिया है तब ऐसी अवस्था में यह कैसे हो सकता है कि नरेशों के विशेषाधिकार या महाराजाओं के विशेषाधिकार या उनकी इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें चालू रखें।

जहाँ तक कि इस विषय का, जो काननी जुज है, इस विषय का जो वैधानिक स्वरूप है उसके बारे में मै समझता हूं कि गृह मंत्रालय ने या कानून मंत्रालय ने काफी अभ्यास किया है और जो रिपोर्ट अखबारो में आई है उसको देखते हुए यह साफ है कि इस विधेयक के बारे में कोई भी कानूनी, कोई भी वैधानिक मुश्किलात नहीं रही है । तो मै समझता हूं कि इस विधेयक को और इस विधेयक का जो उसूल है उसको अमल में लाने में कोई भी मुस्किलात आज देश के सामने या हमारे सामन नही है। इस विधेयक में जो संविधान के आर्टिकल की बात है उसके अलावा एक और धारा है जिसमे जो तनख्वाह देने की